म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन भोपाल

क्रं. / निर्माण / बी.ओ.टी.तौ.कां. / 2018–19 / 68 भोपाल, दिनांक 28 / 02 / 2019

''निविदा आमंत्रण सूचना''

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा प्रदेश की विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों में (सूची अनुसार) खुली निविदा के माध्यम से स्वयं के व्यय पर बिल्ट आपरेट एण्ड टॉसफर (बी.ओ.टी) आधार पर बड़े इलैक्ट्रॉनिक तौलकांटे स्थापना एवं संचालन हेतु वार्षिक प्रीमियम के आधार पर **दिनांक 12.03.2019** समय सायं 5:30 बजे तक केवल **रजिस्टर्ड / स्पीड पोस्ट** से संबंधित कृषि उपज मंडी समिति में निविदा आमंत्रित की जाती है, एवं प्राप्त निविदाएं संबंधित कृषि उपज मंडी समिति में परिपत्र में उल्लेखित गठित कमेटी द्वारा उपस्थित निविदाकारों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष नियत स्थान, दिनांक एवं समय पर खोली जावेगी, जिसकी सूचना मंडी समिति द्वारा पृथक से जारी की जावेगी।

निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी व शर्तें मंडी बोर्ड की बेवसाइट www.mpmandiboard.gov.in. पर अवलोकन, एवं डाउनलोड की जा सकती है।

क्रं0	**इलेक्ट्रानिक तौलकांटा स्थापना का स्थान**	**तौल कांटे की क्षमता**	**न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम (राशि रू.) मंडी की श्रेणीवार**	**धरोहर राशि (रू. लाख में) मंडी बार पृथक–पृथक**	**निविदा प्रपत्र की कीमत**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	संबंधित कृषि उपज मंडी समिति में सूची अनुसार पृथक–पृथक।	30 से 50 मे.टन	क'श्रेणी– 75,000 / –	1.00 लाख	रू.1000 / –मंडी बार पृथक–पृथक
			'ख' श्रेणी–50,000 / –	0.75 लाख	
			'ग' श्रेणी–35,000 / –	0.50 लाख	
			'घ' श्रेणी–25,000 / –	0.25 लाख	

शर्ते :– निविदा के सभी संशोधन मंडी बोर्ड की बेवसाइट www.mpmandiboard.gov.in पर जारी किए जायेगें।

अधीक्षण यंत्री
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

निविदा आमंत्रण विज्ञप्ति क्रमांक 68 दिनांक 01.03.2019 के संशोधन

1. निविदा आमंत्रण की दिनांक 12.03.2019 के स्थान पर 29.03.2019 पढ़ा जायें, शेष विवरण यथावत रहेगा।
2. विभिन्न वाहनों की तौल की दरें एवं भू–खंड का मासिक किराया निविदा प्रपत्र में यथा स्थान प्रविष्टी करने के उपरांत, संबंधित कृषि उपज मंडी समिति द्वारा अपने स्तर से निविदा प्रपत्र निर्धारित दिनांक 06.03.2019 से 22.03.2019 तक विक्रय किये जावेंगें।
3. जी.एस.टी. का रजिस्ट्रेशन देना एवं विगत वर्ष का भुगतान प्रमाण पत्र देना अनिवार्य नही होगा।
4. निविदा आमंत्रण सूचना में मंडियों की श्रेणी ''क'', '' ख, ''ग'' एवं ''घ'' दर्शाई गई है किन्तु मंडियों की श्रेणी में क्रमशः ''अ'', ''ब'', ''स'' एवं ''द'' दर्शाई गई है जो दोनों तरह से ही मान्य होंगी।
5. निविदा विज्ञप्ति की शर्त क्रमांक 03 में दिनांक 20.03.2019 के स्थान पर दिनांक 29.03.2019 पढ़ा जावें।
6. निविदा विज्ञप्ति की शर्त क्रमांक 04 में उल्लेखित तिथियां विलोपित की जाती है। शर्त में उल्लेख अनुसार राशि रूपये–1000/– के डिमान्ड ड्राफट की मूल प्रति, निविदा प्रपत्र क्रय करते समय मंडी समिति में आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी।

अधीक्षण यंत्री
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन भोपाल

क्रं./निर्माण/ बी.ओ.टी.तौ.कां./2018–19/68 भोपाल, दिनांक 28/02/2019

''निविदा आमंत्रण सूचना''

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा प्रदेश की विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों में (सूची अनुसार) खुली निविदा के माध्यम से स्वयं के व्यय पर बिल्ट आपरेट एण्ड टॉसफर (बी.ओ.टी) आधार पर बड़े इलैक्ट्रॉनिक तौलकांटे स्थापना एवं संचालन हेतु वार्षिक प्रीमियम के आधार पर **दिनांक 29.03.2019** समय सायं 5:30 बजे तक केवल **रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट** से संबंधित कृषि उपज मंडी समिति में निविदा आमंत्रित की जाती है, एवं प्राप्त निविदाएं संबंधित कृषि उपज मंडी समिति में परिपत्र में उल्लेखित गठित कमेटी द्वारा उपस्थित निविदाकारों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष नियत स्थान, दिनांक एवं समय पर खोली जावेंगी, जिसकी सूचना मंडी समिति द्वारा पृथक से जारी की जावेगी।

निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी व शर्तें मंडी बोर्ड की बेवसाइट www.mpmandiboard.gov.in. पर अवलोकन, एवं डाउनलोड की जा सकती है।

क्रं0	**इलेक्ट्रानिक तौलकांटा स्थापना का स्थान**	**तौल कांटे की क्षमता**	**न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम (राशि रू.)मंडी की श्रेणीवार**	**धरोहर राशि(रू.लाख में) मंडी बार पृथक–पृथक**	**निविदा प्रपत्र की कीमत**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	संबंधित कृषि उपज मंडी समिति में सूची अनुसार पृथक–पृथक।	30 से 50 मे.टन	क'श्रेणी– 75,000/–	1.00 लाख	रू.1000/–मंडी बार पृथक–पृथक
			'ख' श्रेणी–50,000 /–	0.75 लाख	
			'ग' श्रेणी–35,000 /–	0.50 लाख	
			'घ' श्रेणी–25,000 /–	0.25 लाख	

शर्ते :– निविदा के सभी संशोधन मंडी बोर्ड की बेवसाइट www.mpmandiboard.gov.in पर जारी किए जायेगें।

अधीक्षण यंत्री
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

शर्ते :–

1. स्थापित कराये जाने वाले बी.ओ.टी. तौलकांटे हेतु तुलाई की दरें निम्नानुसार रहेगीः–

   1. प्रति ट्राला रू. ————————
   2. प्रति ट्रक रू. —————————
   3. प्रति ट्राली रू.—————————
   4. प्रति बैलगाड़ी रू. .———————
   5. हाथ ठेला रू. .————————
   6. अन्य वाहन रू. .————————

2. निविदा के सभी संशोधन मंडी बोर्ड की बेवसाइट www.mpmandiboard.gov.in पर जारी किए जायेगें।

3. इस निविदा में भाग लेने वाले निविदाकारों को मंडी की श्रेणीबार धरोहर राशि रू................(मंडी की श्रेणी के अनुसार उल्लेखित राशि) की राष्ट्रीय/शेड्यूल बैंक की एफ.डी.आर. जो सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति (संबंधित)के नाम से देय की मूल प्रति बिड के अन्य दस्तावेजों के साथ पृथक 'ब' लिफाफें में दिनांक 20.03.2019 तक सिर्फ पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा प्रस्तुत करना है, धरोहर राशि जमा के बिना निविदाकार को अयोग्य मानकर निविदा के अन्य तकनीकी बिड 'स' एवं फाइनाइंसियल बिड 'द' के लिफाफे नही खोले जावेंगें।

4. निविदा प्रपत्र कय करने के लिये राशि रू. 1000/– का डिमांड ड्राफ्ट जो कि दिनांक 13.03.2019 तक सचिव कृषि उपज मंडी समिति (संबंधित) के नाम देय हो की मूल प्रति निविदा के साथ पृथक 'अ' लिफाफे में अंतिम तिथि 20.03.2019 तक जमा करना अनिवार्य है। निविदा प्रपत्र की कीमत के डी.डी के बिना निविदाकार को अयोग्य मानकर निविदा का अन्य कोई लिफाफे 'ब' 'स' एव 'द' नही खोले जायेंगें।
5. नियम व शर्ते निविदा प्रपत्र के अनुसार मान्य होगी।
6. निविदा के साथ व्यक्ति/फर्म/संस्था/सहकारी संस्थायें स्वरूप द्वारा लिफाफा 'स' में निम्नानुसार स्वप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होंगें ।

   (अ) Registrations of Firm/ establishment (गुमाश्ता)

   (ब) PAN No.

   (स) GST Registration

   (द) विगत वर्ष तक का GST Tax Clearance certificate

   (ई) Affidavit on Rs.100/- stamp stating that documents submitted Physically are correct & No close relatives'are working in mandi board/krishi upaj mandi samiti

7. अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त हुए दस्तावेजों को मान्य नही किया जावेगा। उपरोक्त सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियॉ दिनांक 29.03.2019 समय 5:30 बजे तक सिर्फ पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा निम्न पते पर प्रस्तुत करें :–

सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति
.....................जिला .... (म0प्र0)

8. निविदाएं निम्न निम्नानुसार लिफाफों में प्रस्तुत करना होंगीं–
लिफाफा 'अ'–निविदा प्रपत्र की कीमत के डिमांड ड्राफ्ट का लिफाफा
लिफाफा 'ब'–धरोहर राशि की एफ.डी. आर. का लिफाफा
लिफाफा 'स'–तकनीकी बिड का लिफाफा जिसमें सभी अन्य वांछित आवश्यक दस्तावेज बिन्दु क्रं. 7 अनुसार है।
लिफाफा 'द'– वित्तीय ऑफर का लिफाफा

नोटः– उपरोक्त क्रम में ही सभी लिफाफे खोले जावेंगें, क्रमबद्ध वांछित अभिलेख प्राप्त होने पर ही आगामी लिफाफा खोला जावेगा।

निविदा की नियत तिथियां

(1) निविदा प्रपत्र क्रय करने की प्रारंभ दिनांक 06.03.2019
(2) निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम दिनांक 22.03.2019
(3) निविदा बिड submission end date 29-03-2019
(4) ऑफर खोलने की दिनांक 30.03.2019 से 08.04.2019 तक (कार्यालयीन समय में) मंडी बार पृथक से स्थानीय स्तर पर सूचना अनुसार।

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति, ..., जिला–.................... (म.प्र.)

बी.ओ.टी. आधार पर तौल कॉटा स्थापना एवं संचालन का ''निविदा प्रपत्र''

परिशिष्ट–''अ''

1. निविदाकर्त्ता व्यक्ति/फर्म का नाम	–	....
2. निविदाकर्त्ता व्यक्ति/फर्म संस्था/ का जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन विवरण निविदाकार का प्रकारः–निर्माता / अधिकृत एजेन्ट/अन्य	_	....
3. फर्म का अन्य विवरण व पदाधिकारियों की सूची	–	....
4. अन्य जानकारी जो निविदाकर्ता आवश्यक समझे	–	....
5. जमा की गयी धरोहर राशि का विवरण	–	F.D.R. क्रमांक व बैंक का नाम............................. .... दिनांक.. राशि रू...
6. पत्र व्यवहार का पता	–	.... दूरभाष नंबर...................... मो.नं. .... ई–मेल आई डी..

निविदाकर्त्ता फर्म/व्यक्ति के हस्ताक्षर.....................
हस्ताक्षरकर्त्ता का नाम..

परिशिष्ट–''ब''

मेरे/हमारे द्वारा निविदा की सभी शर्तों को पढ़कर समझ लिया है। मंडी द्वारा प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कर लिया है। इसके उपरान्त मेरे/हमारे द्वारा निम्नानुसार अपना वाणिज्यिक प्रस्ताव दिया जाता है। यदि मंडी समिति बी.ओ.टी आधार पर तौलकॉटा स्थापना हेतु मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत करती है तो मै/हम आवंटन हेतु निर्धारित सभी शर्तों का पालन करेंगे। (संलग्न विस्तृत शर्तें)

(1) इलेक्ट्रानिक तौलकॉटे की क्षमता 30 से 50 तक मे.टन

(2) वार्षिक प्रीमियम की राशि अंको में रू...

शब्दों में रू...

(3) पस्तावित तौलकॉटे का मेक/ मॉडल (निर्धारित स्पेसिफिकेशन अनुसार
(यदि निविदा के समय दिया जाना संभव हो तो)

दिनांक...............................

निविदाकर्त्ता फर्म/व्यक्ति के हस्ताक्षर ....

हस्ताक्षरकर्त्ता का नाम ....

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति, ..., जिला–.......................(म.प्र.)

(मुख्य मंडी प्रांगण / उपमंडी प्रांगण............................)

बी0ओ0टी0 आधार पर तौलकॉटा स्थापना की विस्तृत शर्ते

1. तौल कांटा स्थापित करने हेतु भू–खण्ड का आवटन किराये पर किया जावेगा तथा आवंटन की अधिकतम अवधि 20 वर्ष होगी। आवंटित किये जाने वाले भू–खण्ड का आकार 20x10 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगा।

2. आवंटित किये जाने वाले भू–खण्ड का मासिक किराया ....रहेगा।
उक्त भूमि के किराये में 10% (दस प्रतिशत) की वृद्धि प्रति वर्ष मंडी समिति द्वारा की जावेगी।

3. बी.ओ.टी आधार पर तौल कांटा लगाने के लिये व्यक्ति / फर्म / संस्था / सहकारी संस्थाएं पात्र होंगी तथा सफल निविदाकार को **''तौल कांटा संचालक''** कहा जावेगा।

4. बी.ओ.टी. पद्धति पर स्थापित किये जाने वाले तौल कांटे के संचालन की अनुबंधित अवधि समाप्त होने के पश्चात् तौल कांटे तथा इसक संचालन के लिये निर्मित की गई समस्त संरचनाऍ यथावत मंडी समिति को हस्तांतरित की जावेगी। मंडी समिति इस व्यवस्था के हस्तांतरण हेतु किसी प्रकार की कोई राशि का भुगतान नहीं करेगी तथा यह सम्पत्ति मंडी समिति के स्वामित्व की मानी जावेगी।

5. स्वीकृति पत्र जारी करने के पश्चात 15 कार्य दिवस क अन्दर निविदाकार को निर्धारित प्रपत्र पर अनुबंध करना होगा। अनुबंध की अवधि 20 वर्ष के लिए प्रभावशील होने से अनुबंध भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1–क के अनुसार निर्धारित दर से स्टाम्पित होना अनिवार्य रहेगी। भू–खण्ड के बाजार मूल्य का निर्धारण संबंधित तकनीकी संभाग के कार्यपालन यंत्री द्वारा जारी बाजार मूल्य निर्देशिका पर आधारित रहेगा। निष्पादित किये जाने वाला अनुबंध में भूमि का स्पष्ट विवरण एवं चतुर्सीमाए उल्लखित की जाना तथा अनुबंध को नोटराईज्ड / पंजीयत कराया जाना अनिवार्य रहेगा। उक्त मे व्यय होने वाली सम्पूर्ण राशि आवंटिती द्वारा व्यय को जावेगी।

6. तौल–कांटा स्थापना हेतु आमंत्रित निविदाओं में निविदाकार द्वारा निविदा के साथ धरोहर राशि रू. .... (शब्दों में रू. ....) सचिव कृषि उपज मंडी समिति के नाम राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शड्यूल बैंक के माध्यम से F.D.R. के रूप में, निविदा आमंत्रण सूचना में मंडी की श्रेणीबार व मंडी बार पृथक–पृथक उल्लेखित राशि जमा की जावेगी।

7. निविदा सफल होने पर सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध के पूर्व वार्षिक प्रीमियत के 50 प्रतिशत राशि अतिरिक्त रूप से जमा की जावेगी।

8. परिपत्र की कण्डिका कमांक–10 अन्तर्गत जमा धरोहर राशि सुरक्षा निधि तथा कमांक–11 अन्तर्गत वार्षिक प्रीमियम के 50% के रूप में जमा की गई राशि रक्षित पेशगी (secured advance) रूप में मण्डी समिति के पास अनुबंध अवधि तक जमा रहेगी।

9. मंडी समिति में स्थापित किये जाने वाले बी.ओ.टी. तौल कांटे पर कृषि उपज की तौल के लिये प्रति ट्राला / प्रति ट्रक / प्रति ट्राली / प्रति बैलगाड़ी एवं हाथ ठेला आदि के लिये तुलाई की दरें मंडी समिति द्वारा निर्धारित की जावेगी। इन दरों में संशोधन करने के अधिकार मात्र मंडी समिति को ही होंगे। तौल काटा संचालक इन दरों से अधिक दर किसी भी स्थिति में कृषकों अथवा व्यापारियों से

वसूल नहीं करेगा। इसका उल्लंघन करते पाये जाने पर तौल कांटे का अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त करने हेतु मंडी समिति सक्षम रहेगी।

10. व्यक्ति/फर्म/सस्था/सहकारी संस्थायें स्वरूप के निविदाकारों के लिए आयकर विभाग का रजिस्ट्रेशन **(PAN)** तथा जी.एस.टी. का रजिस्ट्रेशन एवं विगत वर्ष का **जी.एस.टी. क्लीयरेंस प्रमाण–पत्र''** संलग्न करना अनिवार्य होगा।

11. तौल–कांटे की स्थापना का कार्य भारतीय मानक 1436 वर्ष 1991/9281 वर्ष 1979 एवं अद्यतन संशोधित से निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कराया जावेगा। इसका सत्यापन संबंधित कार्यपालन यंत्री, मण्डी बोर्ड, तकनीकी संभाग स्तर से किये जाने के उपरान्त ही उसे चालू कराया जायेगा। कार्यपालन यंत्री का दायित्व हागा कि अविलंब तौलकांटा स्थापना की जानकारी मुख्यालय को भेजना प्रेषित करें।

12. तौल कांटे की स्थापना एवं रख–रखाव तथा विद्युत आदि का सम्पूर्ण व्यय तौल कांटा संचालक द्वारा वहन किया जावेगा। इसी प्रकार ताल–कांटे के संचालन पर प्रतिवर्ष होने वाले व्यय का वहन भी संबंधित ताल कांटा संचालक द्वारा किया जावेगा।

13. तौल–कांटे की स्थापना एवं संचालन के लिए तौल कांटा संचालक द्वारा एक पक्के पिट का (आवश्यकतानुसार) एवं केबिन का निर्माण किया जा सकेगा। केबिन को छत का निमाण गर्डर फर्शी से परिपत्र में दिये गये प्रावधान अनुसार किया जा सकेगा।

14. तौल–कांटे के संचालन हेतु संबंधित तौल कांटा संचालक को मण्डी अधिनियम की धारा 32 के अधीन मंडी समिति से तुलैया की अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी होगी। उपविधि 2000 की कंडिका 24 (5) एवं (7) के प्रावधान तौल कांटा संचालक पर लागू रहेंगे।

15. तौल–कांटे पर कृषकों की कृषि उपज की तौल ऐच्छिक रहेगी। यदि कृषक स्वेच्छा से कृषि उपज की तौल कराता है तो प्राथमिकता के आधार पर उसकी तौल पहले करना होगी, किन्तुमंडी प्रांगण में व्यापारियों द्वारा कय की गई कृषि उपज को प्रांगण से बाहर विकय/संग्रहण/प्रसंस्करण हेतु निकालने पर संबंधित अभिलेखों में दर्ज किये जाने वाले वास्तविक वजन का सत्यापन मंडी प्रांगण से स्थापित बी.ओ.टी./मंडी के बड़े तौल कांटे से किया जाना अनिवार्य होगा।

16. तौल कांटा संचालक द्वारा तौल–कांटे की स्थापना हेतु आवंटित भूमि के किराये का भुगतान प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक अनिवार्य रूप से मंडी समिति को अग्रिम करना होगा। नियत तिथि तक किराया राशि जमा नहीं करने पर मासिक किराये का 1/30 भाग राशि प्रतिदिन के मान स पेनाल्टी अधिरोपित की जावेगी।

17. तौल कांटा संचालक को अपने स्वयं के व्यय पर तौल–कांटे को उपयोग में लाने के पूर्व नाप तौल विभाग के नियमों में यथा निर्धारित समयावधियों पर तौल–कांटे का सत्यापन एवं स्टेम्पिंग, नाप तौल विभाग से मण्डी समिति के सचिव के समक्ष कराया जाना आवश्यक होगा एवं तत्संबंधी प्रमाण–पत्र भी मंडी समिति में जमा करना होगा एवं सत्यापित छायाप्रति तौल–कांटे के केबिन में प्रदर्शित करना आवश्यक होगा।

18. तौल हेतु संपूर्ण व्यवस्था कम्प्यूट्रीकृत किया जाना अनिवार्य होगा। मैकेनीकल तौल–कांटे नहीं लगाये जावेंगे।

19. **तौल–कांटा प्रीमियम की राशि संबंधित तौल–कांटा संचालक द्वारा एक मुश्त प्रतिवर्ष मंडी समिति में जमा करानी होगी। प्रत्येक पांच वर्ष पश्चात् मूल प्रीमियम राशि में 10% की वृद्धि मंडी समिति द्वारा की जावेगी। निष्पादित अनुबंध की दिनांक से सात दिवस के अन्दर प्रीमियम राशि जमा नहीं करने पर वार्षिक प्रीमियम राशि के 1/2% प्रति सप्ताह अर्थात 1/14% प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी अधिरोपित की जावेगी। छः माह तक निर्धारित प्रीमियम एवं पेनाल्टी राशि संपूर्ण रूप से जमा न करने की स्थिति में तौल कांटा संचालक का अनुबंध निरस्त कर सुरक्षा निधि व उसके द्वारा बनाये गये कक्ष, तौल कांटा आदि संरचनायें मंडी समिति द्वारा राजसात कर ली जावेगी तथा उसकी सार्वजनिक नीलामी से उक्त अवशेष राशि वसूल की जावेगी। नीलामी में प्राप्त अधिक राशि संबंधित को लौटाई जावेगी। यदि राशि कम पड़ती है तो आर.आर.सी. के तहत वसूली की कार्यवाही की जावेगी। वार्षिक प्रीमियम की राशि प्रथम वर्ष की राशि दिनांक से 1 वर्ष उपरांत सात दिवस के अंदर प्रति वर्ष अग्रिम रूप से जमा करनी होगी।**

20. तौल–कांटे की कार्य प्रणाली का निरीक्षण/जांच, शासन/मंडी बोर्ड/मंडी समिति के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकेगा, जिसमें सबंधित तौल कांटा संचालक द्वारा पूर्ण सहयोग देना होगा।

21. तौलकांटा संचालक पर कान्ट्रेक्ट एक्ट, मण्डी अधिनियम, उपविधि के प्रावधानों के साथ–साथ समय–समय पर शासन/वरिष्ठालय द्वारा जारी पत्र/परिपत्र/संशोधन पत्र/निर्देश, तौल–कांटा संचालक पर बंधनकारी होंगे, जिसका पालन संबंधित द्वारा किया जाना आवश्यक होगा। तौल संबंधी किसी अपराध के लिए अनुबंधों के प्रावधानों के तहत एवं विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं म.प्र विधिक अधिनियम 2011 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

22. **तौल–कांटे में संचालन के दौरान कोई तकनीकी खराबी आती है तो उसे अविलंब ठीक करना होगा तथा नाप–तौल निरीक्षक से प्रमाण पत्र प्राप्त कर मण्डी समिति के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। तौल में कोई अन्तर नहीं आवे इस हेतु तौल की शुद्धता की जांच हेतु आधा किलोग्राम से लगाकर 100 किलोग्राम तक के 3–4 मानक वजन/बॉट भी हर समय तौल–कांटे पर उपलब्ध रखना आवश्यक होगा। इन मानक वजन/बॉटों को भी प्रतिवर्ष नाप–तौल निरीक्षक से स्टेपिंग करवाना अनिवार्य होगा।**

23. तौल कांटा संचालक को तौल कांटा आवंटन दिनांक से तीन माह के अंदर स्थापित कर कार्यशील करना होगा अन्यथा विलंब की स्थिति में संबंधित पर वार्षिक प्रीमियम राशि के 1/2% प्रति सप्ताह के मान से पेनाल्टी अधिरोपित को जावेगी । अन्य सभी प्रयोजनों की पूर्ति के लिये समय की गणना तौल कांटा आवंटन के दिनांक से 03 (तीन) माह बाद से की जावेगी। आगामी तीन माह तक यदि पनाल्टी राशि सम्पूर्ण रूप से जमा करने के उपरान्त भी तौल कांटा प्रारम्भ नहीं किया गया तो तौल कांटा संचालक का अनुबंध निरस्त किया जावेगा एवं धरोहर राशि राजसात की जावेगी।

24. अगर कोई ताल–कांटा संचालक तौल कांटे हेतु निर्धारित वार्षिक प्रीमियम सम्पूर्ण निविदा अवधि अर्थात 20 वर्ष प्रावधानित वृद्धियों को गणना में लेते हुए संपूर्ण राशि एक मुश्त जमा कराता है तो उसे निर्धारित किराये में 50% (पचास प्रतिशत) की छूट की पात्रता होगी।

25. तौल कांटा संचालक मंडी प्रांगण में बी.ओ.टो. आधार पर तौल कांटा स्थापित एवं सफलता पूर्वक संचालित करने की न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि के पश्चात् यदि किन्हीं कारणों से उक्त व्यवस्था में निरन्तर संचालित करने का इच्छुक नहीं हो अथवा असमर्थ हो तो वह इस व्यवस्था को किसी अन्य सक्षम व्यक्ति अथवा फर्म को हस्तांतरित कर सकता है। इसके लिये उसे पूर्ण प्रस्ताव मंडी समिति को प्रस्तुत करने होंगे, जिसका परीक्षण एवं निर्णय कंडिका–6 में गठित समिति द्वारा कर, अभिमत

दिया जावेगा। उक्त समिति के अभिमत पर मंडी समिति कार्यवाही कर सकेगी। **अन्तरण मान्य हाने पर पूर्व तौल कांटा संचालक द्वारा परिपत्र की कण्डिका कमांक–10 के तहत निर्धारित जमा कराई गई धरोहर राशि मंडी समिति द्वारा राजसात कर ली जावेगी तथा नवीन तौल कांटा संचालक को उपरोक्तानुसार ही धरोहर राशि की एफ.डी.आर. के रूप में सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति के नाम से पृथक से जमा करना होगी तथा नवीन अनुबंध निष्पादित करना होगा। तीन वर्ष की अवधि का बंधन तौल कांटा संचालक की अकस्मात मृत्यु अथवा स्थाई अपंगता पर लागू नहीं होगा अर्थात ऐसी स्थिति में शेष प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये उसी समय अन्तरण किया जा सकेगा।उपरोक्त के अन्तर्गत की जानेवाली कार्यवाही में जिस व्यक्ति/फर्म इत्यादि को कार्य अंतरण होगा उसकी अवधि पूर्व अनुबंध की शेष अवधि रहेगी।**

26. अन्तरण होने की स्थिति में प्रथम अनुबंधकर्त्ता की प्रीमियम राशि की 50% जमा रक्षित पेशगी (secured advance) राशि की वापिस की जायेगी। परन्तु जब तक द्वितीय अनुबंधकर्त्ता द्वारा उतनी ही रक्षित पेशगी (secured advance) राशि जमा नहीं की जायेगी तब तक प्रथम अनुबंधकर्त्ता की उक्त राशि विमुक्त नहीं की जायेगी।

27. बी.ओ.टी. आधार पर स्थापित कराये गये तौल–कांटे की क्षमता को दोनों पक्षों की सहमति से यदि आवश्यकतानुसार परिवर्तित करना हो तो इस के लिए मुख्यालय से सूक्ष्म परीक्षण उपरांत निर्णय लिया जाकर तौल–कांटे की क्षमता परिवर्तन की कार्यवाही की जा सकेगी, जिसमें सम्पूर्ण व्यय आवंटिती तौल–कांटा संचालक द्वारा वहन किया जावेगा।

28. तौल–कांटा आवंटन में विहित एवं पारदर्शी प्रक्रिया का पालन नही किये जाने पर अथवा नियम विरूद्व आवंटन होने पर प्रबंध संचालक, मण्डी बोर्ड स्वप्रेरणा से या प्राप्त शिकायत के आधार पर जांच करवाकर तथा तौल–कांटा संचालक एवं मण्डी के सचिव को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के उपरान्त निर्देश/आदेश जारी करने हेतु प्राधिकृत होगें और प्रबंध संचालक द्वारा जारी निर्देश/आदेश उभय पक्षों पर बंधनकारी होगा।

29. बी.ओ.टी. के आधार पर तौल–कांटों की स्थापना एवं संचालन के कार्य के लिए निष्पादित अनुबंध की किसी भी शर्त का आवंटिती तौल–कांटा संचालन द्वारा उल्लंघन किये जाने की स्थिति में उक्त ठेके को सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति लिखित सूचना देकर निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, परन्तु ऐसे निरस्त आदेश पारित किये जाने के पूर्व तौल–कांटा संचालक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जावेगा।

30. विवाद की स्थिति में प्रकरण के निराकरण हेतु मध्यस्थ (Arbitrator) के रूप में प्रबंध संचालक, म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल होंगे, जिनका विनिश्चय अंतिम होगा तथा उभय पक्षों पर बंधनकारी होगा।

31. न्यायालयीन वाद–विवाद की स्थिति में मण्डी समिति द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में न्यायालयीन क्षेत्र संबंधित मण्डी समिति का जिला न्यायालय तथा मण्डी बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में न्यायालयीन क्षेत्र जिला न्यायालय भोपाल रहेगा।

सचिव	**भारसाधक अधिकारी/अध्यक्ष**
कृषि उपज मंडी समिति	**कृषि उपज मंडी समिति**
..................**जिला**................	........................**जिला**................

निविदाकर्ता व्यक्ति /फर्म/संस्था/सहकारी संस्था के हस्ताक्षर..........................

1**''निविदा आमंत्रण सूचना'' (समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु)**

कृषि उपज मण्डी समिति .... द्वारा खुली निविदा के माध्यम से स्वयं के व्यय पर बिल्ट आपरेट एण्ड टॉसफर (बी.ओ.टी) आधार पर तौलकांटा स्थापना एवं संचालन हेतु वार्षिक प्रीमियम के आधार पर दिनांक................ को .... तक ऑफलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी ऑनलाईन पोर्टल www.mpmandiboard.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। तथा उक्त जानकारी पर भी अवलोकनीय होगी।

क्रं0	**इलेक्ट्रानिक तौलकांटा स्थापना का स्थान**	**तौल कांटे की क्षमता**	**न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम (राशि रू.)**	**धरोहर राशि**

शर्ते :–

1. निविदा के सभी संशोधन मंडी बोर्ड की www.mpmandiboard.gov.in पोर्टल पर जारी किए जायेगें।

अधीक्षण यंत्री
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

कृषि उपज मंडी समितियां जिनमें बड़े तौलकांटे उपलब्ध नहीं है।

क्रं.	संभाग का नाम	जिले का नाम	मंडी का नाम	मंडी की श्रेणी	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	भोपाल	सीहोर	1. इछावर	द	
2	भोपाल	सीहोर	2. श्यामपुर	द	
3	भोपाल	सीहोर	3. बकतरा	स	
4	भोपाल	रायसेन	4. गैरतगंज	द	
5	भोपाल	रायसेन	5. सिलवानी	द	
6	भोपाल	होशंगाबाद	6. बाबई	द	
7	भोपाल	विदिशा	7. सिरोंज	ब	
8	भोपाल	विदिशा	8. गुलाबगंज	द	
9	भोपाल	विदिशा	9. कुरवाई	द	
10	भोपाल	विदिशा	10. लटेरी	स	
11	भोपाल	विदिशा	11. शमशाबाद	स	
12	भोपाल	राजगढ़	12. पचौर	ब	
13	भोपाल	राजगढ़	13. जीरापुर	द	
14	भोपाल	राजगढ़	14. सारंगपुर	द	
15	भोपाल	राजगढ़	15. छापीहेड़ा	द	
16	भोपाल	राजगढ़	16. खुजनेर	द	
17	भोपाल	राजगढ़	17. खिलचीपुर	द	
18	भोपाल	राजगढ़	18. सुठालिया	द	
19	भोपाल	राजगढ़	19. माचलपुर	द	
20	भोपाल	बैतुल	20. मुलताई	द	
21	भोपाल	बैतुल	21. भैंसदेही	द	
		कुल योग	21		

कृषि उपज मंडी समितियां जिनमें बड़े तौलकांटे उपलब्ध नहीं है।

क्रं.	संभाग का नाम	जिले का नाम	मंडी का नाम	मंडी की श्रेणी	रिमार्क
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	इंदौर	अलिराजपुर	1. अलिराजपुर	द	
2	इंदौर	इंदौर	2. गौतमपुरा	द	
3	इंदौर	बड़वानी	3. बलवाड़ी	द	

कृषि उपज मंडी समितियां जिनमें बड़े तौलकांटे उपलब्ध नहीं है।

क्रं.	संभाग का नाम	जिले का नाम	मंडी का नाम	मंडी की श्रेणी	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	उज्जैन	उज्जैन	1. नागदा	स	
2	उज्जैन	देवास	2. बागली	द	
3	उज्जैन	मंदसौर	3. शामगढ़	द	
4	उज्जैन	मंदसौर	4. मानपुरा	द	
5	उज्जैन	मंदसौर	5. सीतामऊ	द	
6	उज्जैन	मंदसौर	6. सुवासरा	द	
7	उज्जैन	मंदसौर	7. गरोठ	द	
8	उज्जैन	नीमच	8. जावद	द	
9	उज्जैन	शाजापुर	9. अकोदिया	द	
10	उज्जैन	शाजापुर	10. मक्सी	द	
11	उज्जैन	शाजापुर	11. बेरछा	द	
12	उज्जैन	आगर	12. बड़ोद	द	
13	उज्जैन	आगर	13. नलखेड़ा	स	
14	उज्जैन	आगर	14. सोयतकलां	द	
15	उज्जैन	आगर	15. सुसनेर	द	

कृषि उपज मंडी समितियां जिनमें बड़े तौलकांटे उपलब्ध नहीं है।

क्रं.	संभाग का नाम	जिले का नाम	मंडी का नाम	मंडी की श्रेणी	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	ग्वालियर	दतिया	1. सेवढ़ा	स	
2	ग्वालियर	गुना	2. राघौगढ़	स	
3	ग्वालियर	अशोक नगर	3. पिपरई	द	
4	ग्वालियर	अशोक नगर	4. शाडौरा	द	
5	ग्वालियर	शिवपुरी	5. रन्नौद	द	
6	ग्वालियर	शिवपुरी	6. पोहरी	द	
7	ग्वालियर	शिवपुरी	7. खतौरा	द	
8	ग्वालियर	शिवपुरी	8. मगरौनी	द	
9	ग्वालियर	शिवपुरी	9. खनियाधाना	द	
10	ग्वालियर	शिवपुरी	10. बैराढ़	द	
11	ग्वालियर	भिंड	11. आलमपुर	द	
12	ग्वालियर	भिंड	12. लहार	द	
13	ग्वालियर	भिंड	13. मौ	द	
14	ग्वालियर	भिंड	14. मेहगांव	द	
15	ग्वालियर	भिंड	15. भिंड	द	
16	ग्वालियर	श्योपुर	16. विजयपुर	द	
17	ग्वालियर	मुरैना	17. बामौर	द	

कृषि उपज मंडी समितियां जिनमें बड़े तौलकांटे उपलब्ध नहीं है।

क्रं.	संभाग का नाम	जिले का नाम	मंडी का नाम	मंडी की श्रेणी	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	सागर	सागर	1. रहली	द	
2	सागर	सागर	2. बामोरा	द	
3	सागर	सागर	3. राहतगढ़	द	
4	सागर	सागर	4. केसली	द	
5	सागर	सागर	5. जेसी नगर	द	
6	सागर	सागर	6. मालथोन	द	
7	सागर	दमोह	7. जबेरा	स	
8	सागर	छतरपुर	8. हरपालपुर	ब	
9	सागर	छतरपुर	9. बड़ामलहरा	स	
10	सागर	छतरपुर	10. छतरपुर	स	
11	सागर	छतरपुर	11. लवकुश नगर	द	
12	सागर	छतरपुर	12. बिजावर	द	
13	सागर	छतरपुर	13. बक्सवाहा	द	
14	सागर	छतरपुर	14. नौगावं	द	
15	सागर	पन्ना	15. पन्ना	द	
16	सागर	पन्ना	16. अजयगढ़	द	
17	सागर	पन्ना	17. देवेन्द्र	द	
18	सागर	पन्ना	18. पवई	द	
19	सागर	पन्ना	19. सिंमरिया	द	
20	सागर	टीकमगढ	20. निवाड़ी	ब	
21	सागर	टीकमगढ	21. जतारा	स	
22	सागर	टीकमगढ	22. खरगापुर	स	
23	सागर	टीकमगढ	23. पलेरा	द	
24	सागर	टीकमगढ	24. पृथ्वीपुर	द	

कृषि उपज मंडी समितियां जिनमें बड़े तौलकांटे उपलब्ध नहीं है।

क्रं.	संभाग का नाम	जिले का नाम	मंडी का नाम	मंडी की श्रेणी	रिमार्क
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	जबलपुर	बालाघाट	1. बालाघाट	स	
2	जबलपुर	बालाघाट	2. वारासिवनी	ब	
3	जबलपुर	बालाघाट	3. कटंगी	द	
4	जबलपुर	बालाघाट	4. खेरलांजी	द	
5	जबलपुर	बालाघाट	5. लालबर्रा	द	
6	जबलपुर	बालाघाट	6. मोहगांव	द	
7	जबलपुर	बालाघाट	7. परसवाड़ा	द	
8	जबलपुर	मंडला	8. बिछिया	द	
9	जबलपुर	मंडला	9. नैनपुर	द	
10	जबलपुर	डिंडौरी	10. डिंडौरी	द	
11	जबलपुर	डिंडौरी	11. शहपुरा नि.	द	
12	जबलपुर	डिंडौरी	12. गोरखपुर	द	
13	जबलपुर	सिवनी	13. केवलारी	स	
14	जबलपुर	सिवनी	14. बरघाट	स	
15	जबलपुर	सिवनी	15. छपारा	द	
16	जबलपुर	सिवनी	16. घंसौर	द	
17	जबलपुर	सिवनी	17. लखनादौन	द	
18	जबलपुर	सिवनी	18. पलारी	द	

कृषि उपज मंडी समितियां जिनमें बड़े तौलकांटे उपलब्ध नहीं है।

क्रं.	संभाग का नाम	जिले का नाम	मंडी का नाम	मंडी की श्रेणी	रिमार्क
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	रीवा	रीवा	1. बैकुंठपुर	द	
2	रीवा	रीवा	2. हनुमना	द	
3	रीवा	रीवा	3. चाकघाट	स	
4	रीवा	सतना	4. अमरपाटन	द	
5	रीवा	सतना	5. मैहर	द	
6	रीवा	सतना	6. रामनगर	द	
7	रीवा	सीधी	7. सीधी	स	
8	रीवा	सिंगरौली	8. सिंगरौली	द	
9	रीवा	शहडोल	9. शहडोल	द	
10	रीवा	शहडोल	10. ब्योहारी	द	
11	रीवा	शहडोल	11. बुढ़ार	द	
12	रीवा	अनूपपुर	12. अनुपपुर	द	
13	रीवा	अनूपपुर	13. जैतहरी	द	
14	रीवा	अनूपपुर	14. कोतमा	द	
15	रीवा	उमरिया	15. उमरिया	स	